



2026:AHC:28417

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 4930/2026

सुनील कुमार यादव एवं अन्य

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 15 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : आशियम नासिर, शबीना बेगम

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया।

1. याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित प्रार्थना के साथ प्रस्तुत याचिका दायर की है:
“क) परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 4 (तहसीलदार कासिमाबाद, जिला गाजीपुर) को यह आदेश दिया जाए कि वह एसडीएम (तहसील स्तर) न्यायिक, तहसील कासिमाबाद, जिला गाजीपुर द्वारा दिनांक 24.11.2025 को पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें, और वाद संख्या 10621/2025 (सुनील कुमार बनाम अवधेश व अन्य; कम्प्यूटरीकृत संख्या: टी/202514291110621) में पारित अंतिम डिक्री के अनुसार, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 की धारा 117 के तहत, याचिकाकर्ता को उसके संबंधित हिस्से का कब्जा सौंपें।”
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि इस संबंध में, यदि याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी संख्या 2/जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर के समक्ष कोई नया आवेदन प्रस्तुत करता है, तो वे इस मामले में शीघ्रता से निर्णय लेंगे।
3. प्रस्तुत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, इस याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि याचिकाकर्ता आज से तीन सप्ताह के भीतर, अपनी सभी शिकायतों, आवश्यक कागजात, दस्तावेजों और इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ प्रत्यर्थी संख्या 2/जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर के समक्ष नया आवेदन प्रस्तुत करें। यदि याचिकाकर्ता ऐसा करता है, तो प्रत्यर्थी संख्या 2 इस मामले में शीघ्रता से निर्णय लेगा, बशर्ते कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया।)

9 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”